संख्या–4982 / नौ–आ–1–2000–97डी.ए. / 2002(आ.ब.)

प्रेषक,

जे. एस. मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश

आवास अनुभाग–1 लखनऊः दिनाँक–31 अक्टूबर, 2002

विषय : सरल शमन योजना, 2002 के अन्तर्गत शमन शुल्क की दरों के पुनरीक्षण एवं योजना की अवधि बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 3478 / 9–आ–1–2000–97डीए / 2002 (आ.ब.) दिनांक 14.8.2002 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके अनुसार अनाधिकृत निर्माण के शमन हेतु भूमि मूल्य का आंकलन विकास प्राधिकरण की वर्तमान सेक्टर (आवासीय) दर तथा विकास प्राधिकरण की दर न होने पर जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित भूमि के वर्तमान सामान्य आवासीय सर्किल रेट पर किए जाने की व्यवस्था है। कतिपय विकास प्राधिकरणों द्वारा शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि दिनांक 01.4.2002 से सर्किल रेट पुनरीक्षित हो जाने के फलस्वरूप कई स्थानों पर भूमि का मूल्य, बाजार मूल्य से भी अधिक हो गया है जिसके कारण शमन शुल्क की धनराशि अत्यधिक हो रही है, अतः अधिकांश लोग इस योजना में रूचि नहीं ले रहे हैं। इस बिन्दु पर विकास प्राधिकरणों के कार्य–कलापों की समीक्षा बैठक दिनांक 25.10.2002 में विचार–विमर्श हुआ जिसमें समस्त विकास प्राधिकरणों द्वारा सहमति व्यक्त की गई कि शमन शुल्क की गणना हेतु वर्तमान सर्किल रेट के स्थान पर पुनरीक्षण के पूर्व प्रचलित सर्किल रेट को आधार बनाया जाना चाहिए।

2. इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि शमन शुल्क की गणना हेतु भूमि का मूल्य विकास प्राधिकरण की दिनांक 01.01.2002 प्रचलित वर्तमान सेक्टर (आवासीय) दर पर आंकलित किया जाएगा, विकास प्राधिकरण की दरें न होने पर जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित भूमि के दिनांक 01.01.2002 को प्रचलित सामान्य आवासीय सर्किल रेट पर किया जाएगा। मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है भूमि मूल्य की दरों में पुनरीक्षण के दृष्टिगत आवेदकों को समुचित अवसर प्रदान करने हेतु योजनान्तर्गत आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि दिनांक 30.11.2002 तक बढ़ाई जाती है।

3. कृपया उपरोक्त की जानकारी जनता को देने हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

जे. एस. मिश्र
सचिव।

संख्या :– 4982(1)/9–आ–1–2002–97डी.ए./2002(आ.ब.) तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा. आवास मंत्री के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, मा. राज्य आवास मन्त्री के अवलोकनार्थ
3. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4. आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
5. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
6. अध्यक्ष, यूपी रेडको, लखनऊ।
7. अध्यक्ष, आर्कीटेक्ट्स एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश।
8. अपर निदेशक, नियोजन, उ.प्र. आवास बन्धु।

आज्ञा से

संजय भूसरेड्डी

विशेष सचिव।